भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1148

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्नैक्स और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में पाम ऑयल का उपयोग

1148. श्री चंदन चौहानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का उपयोग किया जा रहा है, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित देशों में उन्हीं उत्पादों के लिए सूरजमुखी के तेल या बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य तेलों का उपयोग करती हैं, जबकि देश में और अन्य निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में पाम ऑयल का उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि यदि कोई खाद्य पदार्थ या उसका कोई घटक एक देश में स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त या हानिकारक माना जाता है, तो उसी उत्पाद को अन्य देशों में उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और संतुलित भोजन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए

उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 अधिसूचित किया है, जिसमें बिस्कुट, खाद्य तेल एवं अन्य पैकेटबंद खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के खाद्य उत्पाद मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं। उपर्युक्त विनियम के उप-विनियम 2.2 में खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेल सहित वसा, तेल और वसा इमल्शन, के खाद्य उत्पाद मानक सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल एक मानकीकृत उत्पाद है।

पाम आयल मानकीकृत खाद्य तेल होने के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) महानिदेशक, 2011 के अनुसार स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन और अन्य पैकेटबंद खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल घटक के रूप में इसका उपयोग करने की अनुमति है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5(2)(घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि "खाद्य संघटकों की सूची में खाद्य संघटकों के लिए एक विशिष्ट नाम का उपयोग किया जाएगा" और 'खाद्य वनस्पति तेल' वर्ग के नाम में आने वाले संघटकों के लिए लाभार्थियों के जानकारी युक्त खाद्य विकल्पों के लिए विशिष्ट खाद्य तेल का नाम दिया जाएगा।

एफबीओ को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। ये खाद्य सुरक्षा मानक स्वतंत्र जोखिम का आकलन करने वाले निकायों अर्थात वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समितियों द्वारा प्रदान की गई वैज्ञानिक राय के आधार पर बनाए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोडेक्स मानकों के अनुरूप होते हैं।
